

Mob.: 9386897399
9334000757



Rudra Construction

PROMOTER & DEVELOPER

RAM COMPLEX, DURGA MANDIR ROAD, HIRAPUR, DHANBAD - 826 001

**Deals in : MULTI STORIES APARTMENT / COMMERCIAL COMPLEX, DUPLEX, LAND/COLONY
DEVELOPMENT & ALL TYPE OF CIVIL CONSTRUCTION**

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Mr. Kushal Agrawal was a partner in the firm since last three years. We completed the construction of a multi-story building vide sanction plan number BD- 286/12-13.

He has good work experience and knowledge in this field.

M/s Rudra Construction
Sanjeev Kumar
Partner

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक- 672 / न०नि०

सेवा में,

श्री गती बाती नाली एवं श्री परिसर कमार सिंह
श्री- पति- श्री गीरधरदा हायक एवं पिता- गीरधरदा सिंह,
पत्नी- श्री लक्ष्मी कमार पिता- स्व० गीरीधरदा अग्रवाल, जामोडतार,
आवासीय क्षेत्र, धनबाद।

धनबाद, दिनांक.....

विषय:- आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश नं० बी०डी०-286/12-13
संबंधी आपके आवेदन दिनांक 1.8.12 के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन, दलील संख्या- 15263 दाखिल खारिज अभिलेख
संख्या- 42911112-13 जमाबंदी संख्या- 6720 से निर्गत
लगान रसीद वर्ष 11-12 की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं Indemnity Bond
एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/ संस्थागत भवन
संबंधी बी०डी० केश नं० 286/12-13 के नक्शों की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास
प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि नारायणता मौजा अन्तर्गत खाता नं० 36
प्लोट नं० 3560, 3581 रकवा 15 हे०

भूमि पर स्वीकृत नक्शों के अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता श्री अशोक कमार
की देख-रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

स्वीकृत नक्शों के अनुसार अधिकतम 2 वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्माण पूरा होने की
लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के वेगैर किये गये किसी भी विचलित निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा,
बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय-समय पर कराना सुनिश्चित
करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शों में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

माडा भवन विनियमन के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वत्व,
अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये
किया जा सकेगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य
सरकार/नेशनल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निदेशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में % कुल रू०-39,000/- जमा किया गया है। शेष राशि आवेदक द्वारा सहायक
श्रमायुक्त, धनबाद के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

672

नगर निवेशक/तकनीकी सदस्य
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार
धनबाद।

जापांक- 672 / नगर निवेशन, दिनांक 24/11/12 /

प्रतिलिपि- श्री अशोक कमार, लाईसेंसी अभियन्ता, धनबाद/चास-बोकारो।
2-सहायक श्रमायुक्त, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sanjay Kumar

24/11/12
नगर निवेशक/तकनीकी सदस्य
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार,
धनबाद।